कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(संरक्षण कक्ष)

वन विभाग ,सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश , भोपाल

क्रमांक/एफ–14/10–10/2008 / 1662 /भोपाल:दिनांक 19/5/08

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,

(क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी)

मध्यप्रदेश ।

विषय :– वर्ष 2008–09 में मुनारा निर्माण हेतु बजट आवंटन एवं कार्य निर्देश ।

पंचवर्षीय सीमांकन में मुनारा निर्माण कार्यो के संपदान के लिए इस कार्यालय जारी दिशा निर्देश पत्र कमॉक/संरक्षण/14/2008/10–10/1584 दिनांक 05–2008 का पालनार्थ अवलोकन करें । वर्ष 2008–2009 के लिए निर्देशानुसार मुनारा निर्माण दर का निर्धारण कर योजना कियान्वयन किया जाना चाहिए ।

विभिन्न क्षेत्रीय वन मण्डलों में कार्य आयोजना में निर्धारित पंचवर्षीय सीमांकन अन्तर्गत पक्के मुनारा निर्माण हेतु संलग्न परिशिष्ठ –एक अनुसार बजट आवंटन किया जाता है। मुनारा निर्माण कार्य में निम्न बिन्दुओं का पालन किया जाना चाहिये :–

कार्य आयोजना मानचित्र अनुसार स्थल पर सर्वे सीमांकन करने के बाद ही उच्च गुणवत्ता के मुनारे निर्माण किये जाना चाहिये । यह निर्माण कार्य प्राथमिकता से 15 जून, 2008 से प्रारंभ कर दिया जाना चाहिये तथा निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री की इस प्रकार व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चाहिये कि बरसात के महिनों में मुनारा निर्माण कार्य के लिये निर्माण सामग्री की कमी स्थानीय तौर पर महसूस न हो । यह निर्देश देने का आशय यह है कि बरसात के महिनों का मुनारा निर्माण कार्यो में भरपूर उपयोग किया जा सके जिससे बेहतर गुणवत्ता के मुनारों का निर्माण हो सकेगा । दिसंबर के बाद वित्तीय वर्ष के शेष माहों में पानी की कमी के कारण मुनारा निर्माण का कार्य अच्छी गुणवत्ता का नहीं हो पाता है ।

बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक मूल्यांकन कराया जाना चाहिये । स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय व्दारा प्रचलित वर्ष के मुनारों का मूल्यांकन माह

जनवरी–फरवरी, 2009 में प्रत्येक वन मण्डल के बाहर के कर्मचारियों के माध्यम से वन संरक्षक कार्य आयोजना की देख–रेख में कराया जावेगा ।

3– मुनारा निर्माण कार्य दिसंबर, 2008 तक पूर्ण कर प्रगति प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में भेजा जावे । यदि वन राजस्व भूमि सीमा विवाद स्थलों पर या अन्य किसी क्षेत्र में मुनारा निर्माण आवश्यक हो तो तदाशय का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भेजकर बजट प्राप्त किया जाना चाहिये। परन्तु अतिरिक्त बजट आवंटन मुनारा निर्माण की प्रगति के आधार पर ही दिया जायेगा । बजट आबंटन रू0 2000 प्रति मुनारा की दर से किया गया है । अतः निर्धारित दर से मुनारा निर्माण के बाद धनराशि बचती है तो उसका उपयोग पुराने मुनारों की मरम्मत तथा मुनारों की पुताई आदि में किया जाना चाहिए ।.

4– यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि विगत 10 वर्ष से पक्के मुनारों का निर्माण किया जा रहा है परन्तु फिर भी प्रति वर्ष निर्माण लक्ष्य में कमी नहीं हो रही है । पक्के मुनारे बनाने का आशय ही इस प्रकिया को सीमित करना था । अतः इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देकर कार्यालय अभिलेखों की समीक्षा कर स्थल पर सत्यापन कराया जावे तथा पंचवर्षीय सीमांकन के अभिलेख दुरुस्त किये जावें ।

संलग्न :बजट आवंटन परिशिष्ट–एक एवं
प्रगति प्रतिवेदन का प्रपत्र ।

(सतीश त्यागी)
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश

पृ0कमॉक/एफ–14/10–10/ 1603 /भोपालःदिनांक 19

समस्त वन संरक्षक (कार्य आयोजना) मध्यप्रदेश को सूचनार्थ संप्रेषित । मुनारा निर्माण कार्य संपादन होने के बाद इस कार्य का मूल्यांकन आपके स्तर से किया जाना प्रस्तावित है अतः वन भ्रमण के दौरान समय समय पर कार्य स्तर की समीक्षा की जाना चाहिये ।

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश